न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- हरि राम मीना, आर.ए.एस.

...न संख्या-102/2018 (223 आर.टी.एक्ट)

...सी.एम.एस. संख्या-2018/00222

उनवान

मदनलाल
सुरज्ञान
सुरेश
सुनील
रामनरेश
धनपत
} पिसरान रामस्वरूप जाति मीना निवासी बामनवास पट्टी कलां तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

...अपीलांटस।

बनाम

मण्डू पुत्र मानस्या जाति मीना निवासी ग्राम बामनवास पट्टीकलां ढाणी लाडा की तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर। (फौत)

1/1. मदन
1/2. रमेश
1/3. रामचरण
} पिसरान मण्डू निवासी बामनवास सवाई माधोपुर।

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास।

....रेस्पो0/वादी।

उपस्थित:-

1. श्री हर्षवर्धन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

-:: निर्णय ::-

दिनांक: 20.02.23

यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड बामनवास जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 71/2016 बउनवान मण्डू बनाम लैण्ड होल्डर में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 05.03.2018 के विरूद्ध अंतर्गत [illegible] अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास के समक्ष इस आशय का पेश किया कि साबिक खसरा नंबर 1210 रकबा 17 बिस्वा अभिमन्यू पुत्र नाथू लाल मीना के नाम रही है जिसे वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा संभाल लिया था तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 267 दिनांक 21.04.1975 वादी के नाम खातेदारी अंतरित हो चुकी हैं सैटलमेंट में उक्त साबिक खसरा नंबर के नवीन खसरा नंबर 2648 रकबा 15 एयर 2575/7812 रकबा 10 एयर बने हैं। उक्त भूमि वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की है जिससे किसी दीगर व्यक्ति का कोई संबंध नही है। सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों द्वारा उक्त साबिक खसरा नंबर का नक्शा बनाते समय 2648 तो नक्शा शीट मे दर्ज कर दिया लेकिन 2575/7812 नंबर नक्शे में दर्ज करने से रह गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। मातहत अदालत ने दिनांक 05.03.18 को निर्णय व डिक्री पारित करते हुए आदेश पारित किया कि "ग्राम बामनवास पट्टी कलां ए में स्थित खसरा नंबर 2575 में से संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल भाग का अलग से खसरा नंबर 2575/7812 दर्ज किया जावें"। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

अपील मीमों में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 2575 रकबा 0.64 है0 गैर मुमकिन पाल की भूमि है जो जमीन लेवल से करीब 8 फीट उंची है जिस पर होकर सभी आते जाते है तथा अपीलांट भी आते जाते है। इस भूमि से रेस्पो0 वादी मण्डू का कोई संबंध या कब्जा नही है तथा मण्डू की कोई भूमि इस पाल के आसपास नहीं है। मातहत अदालत ने कोई जवाब या मौका रिपोर्ट तहसीलदार से नही मंगवाई है तथा मनमाने तरीके से खसरा नंबर 2575 गैरमुमकिन पाल मे जिस जगह वादी ने चाहा उस जगह अलग से खसरा नंबर 2575/7812 अलग से दर्ज करवाकर लाल स्याही से नक्शे मे अंकन करने का आदेश दे दिया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.18 निरस्त फरमाई जावें। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 व प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ ही पेश किया।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त विवादित आराजीयात पाल की भूमि के पश्चिम मे अपीलांट के कब्जे [illegible] खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 2550 रकबा 0.29 है0 है जिस पर अपीलांट मवेशी व [illegible] पाल से होकर लाते ले जाते है तथा इस पाल के कारण अपीलांट [illegible] पानी भरा रहता है जिसके अपीलांट को फसल [illegible] है। अपीलांट [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:33 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वगैरह के विरुद्ध दिनांक 28.05.16 को माननीय अदालत के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का दावा संख्या 24/2016 पेश कर रखा जो वर्तमान में चल रहा है। रेस्पो. सं. 01 ने बदनियति से एक अन्य दावा संख्या 71/2016 बिना अपीलाण्ट को पक्षकार बनाए दिनांक 09.05.16 को पेश कर दिनांक 05.05.16 को डिक्री करवा लिया। चूंकि उक्त निर्णय से अपीलाण्ट के भी हित प्रभावित हो रहे है। अतः अपीलाण्ट को आवश्यक पक्षकार होने के नाते अपीलाण्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी के अवलोकन से जाहिर आता कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 2572 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग हेतु काम में ली जाती है। चूंकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि में प्रत्येक व्यक्ति का हित निहित होता है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

अपीलाण्ट्स का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स मातहत अदालत के दावे के पक्षकार नहीं थे। दिनांक 09.09.2018 को पटवारी हल्का से दावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.05.16 की जानकारी अपीलाण्ट होते ही निर्णय व डिक्री की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत की है। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील पेश करने में जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुई विलंब को क्षमा कर अपील अन्दर अवधि मान्य फरमावे।

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा शपथपत्र सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद आदि के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप पक्षी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट की भूमि खसरा नंबर 2550, 2549 को जबरन हड़पना चाहते है जिस हेतु उन्होंने दिनांक 24.05.16 को अपीलाण्ट [illegible] अपीलाण्ट ने भज्जू वगैरह के विरुद्ध दिनांक 28.05.16 को न्यायालय उपखण्ड अ[illegible] के समक्ष स्थाई निषेधाज्ञा का दावा संख्या 24/2016 पेश [illegible] में चल रहा है। अपीलाण्ट्स के उक्त दा[illegible] से यह दावा बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:33 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलांटस् को पक्षकार बनाये ही पेश कर विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 05.03.18 डिक्री करवा कर नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड मे लाल स्याही से इन्द्राज करा लिया। जबकि मौके पर वादग्रस्त पाल पर रेस्पो० का कोई हक व कब्जा नही है। रेस्पोंडेन्टगण अब पाल की भूमि की लेवलिंग करने पर आमदा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.18 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो० संख्या 01 के वारिसान की तरफ से कोई उपस्थित नही. रेस्पो० सं० 02 पैरोकार सरकार की तरफ से कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय सही फरमाया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2072–2075 वाके ग्राम बामनवास पटटी कलां तहसील बामनवास के अनुसार खसरा नंबर 2575 रकबा 0.64 है० भूमि जलमग्न (चारागाह हेतु) राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार रेस्पो० संख्या 01 की खातेदारी आराजी साबिक खसरा नंबर 1219 रकबा 17 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 2548 रकबा 15 एयर 2575/7812 रकबा 10 एयर बने हैं जबकि कुल 21 एयर ही बननी चाहिए थी अर्थात् 4 एयर रकबा अधिक बना है। विवादित आराजीयात की श्रेणी जलमग्न (चारागाह हेतु) गैर मुमकिन पाल राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। इस पर किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही होते है। अदालत मातहत द्वारा आलौच्य आदेश मे गैरमुमकिन पाल खसरा नंबर 2575 रकबा 0.64 है० पर नक्शे संशोधन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से खातेदारी अधिकार को मान्यता दी है। वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

4. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास वाद संख्या 71/2016 बउनवान मण्डू बनाम लैण्ड होल्डर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिपेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, साक्ष्य व सबूतों को [illegible] रखते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को [illegible] सुनवाई के लिए दिनांक 21.03.2023 को मातहत [illegible] बामनवास के समक्ष उपस्थित होवें।

sd/-
[illegible] अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अपीलांटस् को पक्षकार बनाये ही पेश कर विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 05.03.18 डिक्री प्राप्त कर नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड मे लाल स्याही से इन्द्राज करा लिया। जबकि मौके पर यादवास्त पाल पर रेस्पो0 का कोई हक व कब्जा नही है। रेस्पोडेन्टगण अब पाल की भूमि की तख्तीत करने पर आमदा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.18 निरस्त फरमाया जावे।

1. रेस्पो0 संख्या 01 के वारिसान की तरफ से कोई उपस्थित नही, रेस्पो0 सं0 02 पैरोकार सरकार की तरफ से कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय सही फरमाया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

2. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2072–2075 वाके ग्राम बामनवास पट्टी कलां तहसील बामनवास के अनुसार खसरा नंबर 2575 रकबा 0.64 है0 भूमि जलमग्न (चारागाह हेतु) राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार रेस्पो0 संख्या 01 की खातेदारी आराजी साबिक खसरा नबर 1219 रकबा 17 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 2548 रकबा 15 एयर 2575/7812 रकबा 10 एयर बने हैं जबकि कुल 21 एयर ही बननी चाहिए थी अर्थात् 4 एयर रकबा अधिक बना है। विवादित अराजीयात की श्रेणी जलमग्न (चारागाह हेतु) गैर मुमकिन पाल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। इस पर किसी भी प्रकार के खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा आलौच्य आदेश में गैरमुमकिन पाल खसरा नंबर 2575 रकबा 0.64 है0 पर नक्शे संशोधन के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से खातेदारी अधिकार को मान्यता दी है। वह विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

4. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाकर मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास वाद संख्या 71/2016 बउनवान मण्डू बनाम लैण्ड होल्डर में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.03.2018 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर, साक्ष्य व सबूतों को ध्यान मे रखते हुए पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 21.03.2023 को मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बामनवास के समक्ष उपस्थित होवें।

Sd/-
[illegible]
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

[illegible]
[illegible]

वली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक .02.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.03.10 11:10:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner